



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 10 फरवरी, 2025 / 21 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 फरवरी, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-16/2024-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और

विनियम) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18) को दिनांक 03-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2025 का अधिनियम संख्यांक 16.

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 03 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 38 का संशोधन.—महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

“सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।” शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

—————
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

—————
Act No. 16 of 2025.

**THE MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 03RD FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

further to amend the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 22 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Maharishi Markandeshwar University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 06 फरवरी, 2025

संख्या: एल.एल.आर.—डी.(6)—20/2024—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॅरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 20) को दिनांक 04-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

कॅरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

2025 का अधिनियम संख्यांक 18.

कॅरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

कॅरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कैरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—कैरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।" शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2024**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

Act No. 18 of 2025.

**THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 04TH FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

*further to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012
(Act No. 12 of 2012).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 06 फरवरी, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-19/2024-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19) को दिनांक 04-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)
संशोधन अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 38 का संशोधन।
3. धारा 39 का संशोधन।

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)
संशोधन अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. **धारा 38 का संशोधन.**—शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।"

3. **धारा 39 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के अन्त में,—

"सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।" शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT
SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 38.
3. Amendment of section 39.

**THE SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT
SCIENCES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 04TH FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

*further to amend the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences
(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 20 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy- fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2024.

2. Amendment of section 38.—In section 38 of the Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.” .

3. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, the words and sign “The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly.” shall be added.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 04 फरवरी, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-37/2024-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 29) को दिनांक 03-02-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 15,85,69,18,458 की और राशि प्राधिकृत करना।
3. विनियोग।

अनुसूची।

2025 का अधिनियम संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 03 फरवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2014-2015 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2024 है।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹15,85,69,18,458 की और राशि प्राधिकृत करना.**—हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ तृतीय में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग केवल ₹15,85,69,18,458 (एक हजार पांच सौ पचासी करोड़, उनहतर लाख, अठारह हजार, चार सौ अठ्ठावन रूपए) है, वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान अनुसूची के स्तम्भ द्वितीय में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. **विनियोग.**—इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2014-2015 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

| 1 | 2 | | 3 | | |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | निम्नलिखित राशियों से अनधिक | | |
| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹ | संचित निधि पर प्रभारित ₹ | कुल ₹ |
| 01 | विधान सभा | (राजस्व) (पूँजीगत) | — 1,80,000 | 46,530 — | 46,530 1,80,000 |
| 02 | राज्यपाल और मन्त्री परिषद् | (राजस्व) | 12,91,255 | — | 12,91,255 |
| 06 | आबकारी और कराधान | (राजस्व) | 1,56,59,480 | — | 1,56,59,480 |
| 10 | लोक निर्माण सड़क, पुल एवं भवन | (राजस्व) | — | 92 | 92 |
| 11 | कृषि | (राजस्व) | 10,87,59,570 | — | 10,87,59,570 |
| 12 | बागवानी | (राजस्व) | 4,10,38,690 | — | 4,10,38,690 |
| 13 | सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई | (राजस्व) | 4,74,06,63,337 | — | 4,74,06,63,337 |
| 18 | उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी | (पूँजीगत) | 2,39,90,094 | — | 2,39,90,094 |
| 19 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | (राजस्व) (पूँजीगत) | — 47,30,313 | 1,00,000 — | 1,00,000 47,30,313 |
| 23 | विद्युत विकास | (राजस्व) (पूँजीगत) | 1,25,41,978 24,80,99,000 | — — | 1,25,41,978 24,80,99,000 |
| 29 | वित्त | (राजस्व) (पूँजीगत) | — — | 99,14,04,553 9,66,82,93,014 | 99,14,04,553 9,66,82,93,014 |
| 31 | जनजातीय विकास | (राजस्व) | — | 1,20,552 | 1,20,552 |
| | कुल | (राजस्व) (पूँजीगत) | 4,91,99,54,310 27,69,99,407 | 99,16,71,727 9,66,82,93,014 | 5,91,16,26,037 9,94,52,92,421 |
| | कुल जोड़ | | 5,19,69,53,717 | 10,65,99,64,741 | 15,85,69,18,458 |

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.

2. Authorisation of a further sum of ₹ 15,85,69,18,458 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2014-2015.
3. Appropriation.

THE SCHEDULE.

Act No. 15 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NUMBER 3) ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 03RD FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

to authorise appropriation of certain sums out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out the amount spent on the certain services for the financial year 2014-2015 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Number 3) Act, 2024.

2. Authorisation of a further sum of ₹15,85,69,18,458 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet out certain expenditure for the financial year 2014-2015.— From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of THE SCHEDULE amounting in the aggregate to the sum of ₹ 15,85,69,18,458 (One thousand five hundred eighty five crore, sixty nine lakh, eighteen thousand, four hundred fifty eight rupees only) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of THE SCHEDULE during the financial year 2014-2015 in excess of the amount authorised or granted for those services in that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of the Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in THE SCHEDULE in relation to the financial year 2014-2015.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

| 1 Demand No. | 2 Services and purposes | 3 Sums not exceeding | | |
|--------------------|--|--|--|--------------------|
| | | Voted by the Legislative Assembly ₹ | Charged on the Consolidated Fund ₹ | Total ₹ |
| 01 | Vidhan Sabha (Revenue) (Capital) | — 1,80,000 | 46,530 — | 46,530 1,80,000 |

| | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 02 | Governor and Council of Ministers | (Revenue) | 12,91,255 | — | 12,91,255 |
| 06 | Excise and Taxation | (Revenue) | 1,56,59,480 | — | 1,56,59,480 |
| 10 | Public Works-Roads, Bridges and Buildings | (Revenue) | — | 92 | 92 |
| 11 | Agriculture | (Revenue) | 10,87,59,570 | — | 10,87,59,570 |
| 12 | Horticulture | (Revenue) | 4,10,38,690 | — | 4,10,38,690 |
| 13 | Irrigation, Water Supply and Sanitation | (Revenue) | 4,74,06,63,337 | — | 4,74,06,63,337 |
| 18 | Industries, Minerals, Supplies and Information Technology | (Capital) | 2,39,90,094 | — | 2,39,90,094 |
| 19 | Social Justice and Empowerment | (Revenue) | — | 1,00,000 | 1,00,000 |
| | | (Capital) | 47,30,313 | — | 47,30,313 |
| 23 | Power Development | (Revenue) | 1,25,41,978 | — | 1,25,41,978 |
| | | (Capital) | 24,80,99,000 | — | 24,80,99,000 |
| 29 | Finance | (Revenue) | — | 99,14,04,553 | 99,14,04,553 |
| | | (Capital) | — | 9,66,82,93,014 | 9,66,82,93,014 |
| 31 | Tribal Development | (Revenue) | — | 1,20,552 | 1,20,552 |
| | Total | (Revenue) | 4,91,99,54,310 | 99,16,71,727 | 5,91,16,26,037 |
| | | (Capital) | 27,69,99,407 | 9,66,82,93,014 | 9,94,52,92,421 |
| | Grand Total | | 5,19,69,53,717 | 10,65,99,64,741 | 15,85,69,18,458 |

CHANGE OF NAME

I, Chander Mohan s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Kamlar, P.O. Kangta Failag, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) have changed my minor son name from Bhupender Thakur to Bhavik Thakur.

CHANDER MOHAN
s/o Sh. Amar Singh,
r/o Village Kamlar, P.O. Kangta Failag,
Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi w/o Late Sh. Mangat Ram, r/o Village Old Jubbal, P.O. & Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Gianchandi (old name) to Kamla Devi (new name). All concerned please may note.

KAMLA DEVI
w/o Late Mangat Ram,
r/o Village Old Jubbal,
P.O. & Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shreyaa Sharma D/o Sh. Rajeev Sharma, aged 31 years, residing at 61/2A, Laxmi Niwas, HGBL Complex, Karpalpur (143), Nalagarh, Solan, Himachal Pradesh-174101, declare that I have changed my name from Shreyaa Sharma to Shreyaa Tyagi after my marriage to Mr. Chander Prataap Singh Tyagi. All concerned please may note.

SHREYAA SHARMA
*D/o Sh. Rajeev Sharma,
residing at 61/2A, Laxmi Niwas,
HGBL Complex, Karpalpur (143),
Nalagarh, Solan, Himachal Pradesh.*

